

दिनांक 27/7/93

श्री. प्रदीप कुमार,
श्री. अशोक,
श्री. राजेश कुमार

श्री. आर्य समाज शिक्षा परिषद,
10/12, बगपट,
गुजराट, नई दिल्ली।

विधि 273 अनुदान


बगपट विधि: 2 अगस्त 1993

विषय: श्री. आर्य समाज शिक्षा परिषद द्वारा बगपट में श्री. आर्य समाज शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जा रहे हैं।

संदर्भ,


उपरोक्त विषय पर जो यह कथन का विरोध हुआ है कि श्री. आर्य समाज शिक्षा परिषद द्वारा बगपट में श्री. आर्य समाज शिक्षा परिषद द्वारा चलाए जा रहे हैं। यह कथन कि राज्य सरकार को निम्नलिखित सुविधाओं के अधीन आयोजित


- 111 विद्यालयों की संशुद्ध योजनाओं पर नवीनीकरण कराया जाएगा।
- 126 विद्यालयों की पुस्तक सभित में शिक्षा निदेशक द्वारा मार्ग प्रदर्शित होगा।
- 138 विद्यालयों में क्वॉलिटी सुनिश्चित स्थान अनुसंधान आदि अनुसंधान योजनाओं के अन्तर्गत निरधारित स्थानों और उनमें उत्तम प्रयोग आधुनिक शिक्षा परिषद द्वारा संयोजित शिक्षकों में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निरधारित सुविधाओं के अन्तर्गत सुविधा नहीं प्राप्त होगी।
- 151 संस्था शिक्षक एवं निरक्षर कर्मचारियों को राष्ट्रीय स्तर पर प्राप्त शिक्षा संस्थाओं के कर्मचारियों को अनुसंधान योजनाओं तथा अन्य नरतों के रूप में मान्यता तथा अन्य नरतों प्राप्त होंगे।



Principal -
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
BAGHPAT (U.P.)

Manager
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
BAGHPAT (U.P.)

द्वारा राज्य सरकार ने सभी अनुदान की राशि नहीं चलाए जा रहे हैं। यह कथन कि राज्य सरकार को निम्नलिखित सुविधाओं के अधीन आयोजित


Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL
BAGHPAT (U.P.)


Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL, BAGHPAT


Manager

161 कक्षास्थितों को सेवा नहीं करायेगी और उनकी तलाश
प्राप्त आकांक्षीय उत्तर माध्यमिक विद्यालयों के समुदाय
का अनुसंधान तथा नियुक्ति का काम उपलब्ध कराये जायेगा।

171 राज्य सरकार द्वारा अन्य समय पर जो भी अर्थात् नियमित
आयेगी, सेवा प्रदान करेगा।

181 विद्यालय का विचार निर्धारित प्रश्न/परिच्छेदों में रखा

191 उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई
परिच्छेद/संशोधन का परिच्छेद नहीं किया जायेगा।

2- प्रतिबन्ध यह भी होगा कि सेवा द्वारा यह सुनिश्चित किया
कि विद्यालय भवन का तथा मानक निर्माण 3 वर्ष के भीतर शेषा किया जाय
गाहन को अग्रत कराया जाय।

3- उक्त प्रतिबन्धों का पालन करना सेवा के लिए अनिवार्य होगा
यदि किसी समय यह पार्या जाता है कि सेवा द्वारा उक्त प्रतिबन्धों का प
नहीं किया जा रहा है अथवा पालन करने में किसी प्रकार का वृक या शिथिल
करता जा रही है तो राज्य सरकार द्वारा प्रदत्त अनाधिकृत प्रमाण पत्र का
ले लिया जायेगा।

भवदीय,

आचार्य/सचिव
उप निदेश

सं. सं. 5204/14/15-7-1993 संदर्भित

प्रतिनिधि नियमितित को सुवार्ध सर्व आकांक्षक कार्यकारी हेतु

प्रति :-

- 1- शिक्षा निदेशक, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 2- सहायक उप शिक्षा निदेशक, मेरठ।
- 3- शिक्षा विद्यालय निरीक्षक, मेरठ।
- 4- निरीक्षक, उच्च माध्यमिक विद्यालय उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- प्रमुख, डी.ए.वी.पब्लिक स्कूल, बाघपट।

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL,
BAGHPAT (U.P.)

Manager
D.A.V. PUBLIC
SCHOOL,
BAGHPAT (U.P.)

आचार्य,
आचार्य/सचिव
उप निदेश

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL,
BAGHPAT (U.P.)

Principal
D.A.V. PUBLIC SCHOOL,
BAGHPAT